छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय संस्था, शासकीय विश्वविद्यालयीन फार्मेसी संस्था तथा निजी क्षेत्र की फार्मेसी संस्थाओं के बी.फार्मेसी (डिग्री पाठ्यक्रम) एवं डी.फार्मेसी (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) में तथा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, छतौना, रायपुर में संचालित बी.ई.बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में सत्र 2011–12 में पी.पी.एच.टी. (**PPHT**)–2011 के आधार पर

प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम एवं प्रक्रिया

तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ बायरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2421376, फेक्स 0771–2426330

website-www.cgdteraipur.ac.in

www.mkcl.biz/cgppht2011

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पी.पी.एच.टी. का फार्म भरते समय नहीं होती है। इन दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें । ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो ।

    1. निवास प्रमाणपत्र
    2. स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
    3. जाति सत्यापन प्रमाणपत्र (आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर/ अधिकृत कार्यालय से)
    4. दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
    5. बारहवीं की अंकसूची
    6. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र – (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
       (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो ।
       (उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी विकलांग होने संबंधी प्रमाणपत्र– संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है) ।

- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट- www.mkcl.biz/cgppht2011 का अवलोकन करते रहें ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जुलाई–अगस्त माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा ।
- पी.पी.एच.टी. फार्म भरने से पूर्व इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें । काउंसिलिंग से पूर्व ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया जो इस बुकलेट में दी गई है, का भी ठीक से अध्ययन कर लें । इससे आपको संस्था/पाठ्यक्रम के चयन में सहायता मिलेगी एवं कम्प्यूटर/इंटरनेट में कार्य करने में आसानी होगी ।

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
::- मंत्रालय -::

अधिसूचना

क्रमांक / एफ– 488 / 42 / 2011

''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी फार्मेसी संस्थाओं में संचालित बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम (Bachelor of Pharmacy) एवं डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम (Diploma in Pharmacy) में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे । सत्र 2011–12 के लिये इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये पी.पी.एच.टी परीक्षा को सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाता है । इसी अनुक्रम में यह प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया की दिग्दर्शिका प्रकाशित की जा रही है ।

इसके तहत निजी क्षेत्र के फार्मेसी संस्थाओं में संचालित फार्मेसी स्नातक उपाधि बी.फार्मेसी एवं फार्मेसी डिप्लोमा उपाधि डी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में सत्र 2011–2012 में निर्धारित छत्तीसगढ़ कोटा, अन्य राज्य कोटा एवं मेनेजमेंट कोटा की सीटों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा प्री–फार्मेसी टेस्ट (पी.पी.एच.टी.) – 2011 के मेरिट के आधार होंगे ।

पी.पी.एच.टी. – 2011 के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में संचालित बी./डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में भी प्रवेश होंगे ।

पी.पी.एच.टी. परीक्षा का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जाता है । बी./डी फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पी.पी.एच.टी. में सम्मिलित होना (जम्मू काश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के साथ–साथ अन्य राज्य के छात्र भी जो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं आवश्यक रूप से पी.पी.एच.टी. परीक्षा में सम्मिलित हों । बायोटेक्नालॉजी (बी.ई.) में कुल स्वीकृत सीटों का संस्था वार 2/3rd सीट पी.ई.टी. के आधार तथा 1/3rd सीट पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जायेगी । यदि पी.ई.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी । उसी प्रकार यदि पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.ई.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी । प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

2.1 संक्षिप्त नाम :–

2.1 ये नियम 'छत्तीसगढ़ फार्मेसी स्नातक/डिप्लोमा पाठयक्रम एवं स्नातक बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2011' कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है ।

2.2 **विस्तार :–**

ये नियम उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो :

बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी/बी.ई. (बायोटेक्नालॉजी) के प्रथम वर्ष में राज्य के शासकीय एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा राज्य में स्थित उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये एआईसीटीई से अनुमोदित है ।

2.3 परिभाषायें :–

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

1. **'प्रवर्ग'** का तात्पर्य है अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा ।

2. **'व्या.प.म.'** का तात्पर्य है 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' छत्तीसगढ़ रायपुर ।

3. **'सक्षम प्राधिकारी'** (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।

4. **'प्राचार्य'** का तात्पर्य है संस्था प्रमुख ।

5. **'छत्तीसगढ़'** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।

6. **'अ.भा.त.शि.प.'** का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ।

7. **'पी.सी.आई.'** का तात्पर्य है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ।

7. **'संचालक'** का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

8. **'अभ्यर्थी'** या **'उम्मीदवार'** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है

9. **'वर्ग'** से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं *'निःशक्तता से बाधितवर्ग' में से कोई एक* जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा ।

10. **'पी.पी.एच.टी.'** का तात्पर्य है छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा बी.फार्मेसी / डी. फार्मेसी / बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपसी मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा ।

2.4 (अ) कोटा का निर्धारण – विभिन्न फार्मेसी संस्थाओं की सीटों को 03 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :– इस कोटा के अंतर्गत केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे । तथापि छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.एच.टी. – 2011 की मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(2) अन्य राज्य कोटा (Other State Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे । तथापि अन्य राज्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इसे आवश्यकतानुसार छ.ग. राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर भी प्रवेश पी.पी.एच.टी. – 2011 के मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(3) मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । इस कोटे पर भी प्रवेश पी.पी.एच.टी. – 2011 के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर होंगे ।

बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी / बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं में निम्नानुसार कोटा की व्यवस्था रहेगी

विवरण	CG	OS	MGT
निजी संस्थायें	75	10	15
शासकीय संस्था	100	NIL	NIL
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थायें	100	NIL	NIL

2.4 (ब) प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

फार्मेसी के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम की संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी तालिका क्र. 1 में दर्शाई गई है । तालिका 2 में शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था में आरक्षण की जानकारी दी गई है । तालिका – 3 में शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक में आरक्षण की जानकारी दी गई है ।

2.4.1 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा किसी संस्था का अनुमोदन प्राप्त होता है, किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो बढ़ी हुई सीटों को काउंसिलिंग की अगली चरण में सम्मिलित किया जा सकता है ।

2.4.2 काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु. 1000/– प्रति छात्र की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार धरोधर राशि के रूप में कॉशन मनी यथा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है । यह राशि वापसी योग्य है । किसी संस्था को धरोधर राशि न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन का विशेषाधिकार रहेगा ।

2.5 सीटों का आरक्षण–

2.5.1 उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए–

शासकीय एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों की संख्या तालिका 2 एवं 3 में दी गई है । शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी । इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है ।

निजी संस्थाओं में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/ अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र पृथक से जमा करना आवश्यक है । जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाघ्याय नगर रायपुर से होना है । जाति सत्यापन काउंसिलिंग से पूर्व करा लेना चाहिये । ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो । जाति सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है –

1. स्थायी जाति प्रमाणपत्र 2. मिसल रिकार्ड 3. वंशावली की जानकारी आदि पूर्ण जानकारी के लिये उपरोक्त कार्यालय के दूरभाष–0771–2262606,2262633 पर संपर्क किया जा सकता है ।

टिप्पणी –

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' *एवं 'निःशक्तता से बाधित' अभ्यर्थियों के लिये*

शासकीय संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक' (S) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' (FF) एवं *निःशक्तता से बाधित वर्ग* (H) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 एवं 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं । शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में केवल नि–शक्तता से बाधित अभ्यर्थी के लिये ही 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण हैं । आरक्षित सीटों की जानकारी तालिका – 2 एवं 3 में दी गई है ।

2.5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा *ऑफिसर कमांडिंग* द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त अभ्यर्थीा को प्रारूप 6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र जमा करना होगा ।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये है उन्हें नियम पुस्त्िका के प्रारूप 3 (ब) में प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप 3(स) एवं 6 दोनो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र (जिस हेतु क्रमशः संलग्न प्रारूप 6 का उपयोग किया जा सकता है) प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टीपः 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनके संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

2.5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों को प्रवेश की पात्रता होगी जो <u>नियम 2.6.2</u> के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी /सूची में दर्ज है ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से <u>प्रारूप 4</u> में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

2.5.2.3 **निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण** (Reservation for Persons with Disability)

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जो **नियम 2.6.2** के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय, शासकीय विश्वविद्यालय तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा । यदि किसी ब्रांच में इस क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा । **टेबल 2 एवं 3** में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित सीटों में प्रत्येक संस्था में प्रत्येक ब्रांच में प्रवर्गवार अधिकतम एक सीट आरक्षित है ।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे । निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही मान्य होगा । (दोनो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।) इसलिए पहले से दोनो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी बनवा लें । काउंसिलिंग के समय यदि प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी स्थिति में आबंटन/प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि किसी विकलांग अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर UR की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है । ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है ।

2.5.3 **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण—** शासकीय संस्थाओं एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की छत्तीसगढ़ कोटे की सीटों में प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में होरिजोन्टल वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा ।
किसी भी वर्टिकल या उसके अंतर्गत होरिजोन्टल वर्ग मे महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस प्रवर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जावेगा (किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य प्रवर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे) ।

काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का कम निम्नानुसार रहेगा :

1. उर्ध्वाधर आरक्षण :— सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी ।

2. क्षैतिज आरक्षण :— इस प्रकिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा । जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये । तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा ।

3. उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे Handicap के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है ।

4. आरक्षित प्रवर्ग के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण Handicap के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.5.4. <u>जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग</u>

1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र के फार्मेसी संस्थाओं में एक—एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) से निर्धारित प्रारूप 7 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप 8 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

3 किसी संस्था के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा । परंतु अलग–अलग तिथि होने पर जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा ।

4. जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू काश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पी.पी.एच.टी.–2011 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे ।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्ते–

2.6.1 शैक्षणिक अर्हता–

(अ) बी./डी फार्मेसी हेतु – चार वर्षीय बी.फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं रसायन तथा गणित / जैवप्रौद्योगिकी/जीव–विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों (तीनों मुख्य विषयों में) के साथ एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको (तीनों मुख्य विषयों में) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा । तीनों मुख्य विषयों में जैसे :– भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) बी.ई. (बायोटेक्नॉलाजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं बायोलाजी या गणित तथा रसायन विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय के साथ 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों (तीनों मुख्य विषयों में) के साथ एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको (तीनों मुख्य विषयों में) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा । तीनों मुख्य विषयों में जैसे :– भौतिकी, बायोलॉजी एवं रसायन/गणित/जैवप्रौद्योगिकी में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

टीप : 1. यदि अर्हकारी परीक्षा (12वी) की अंकसूची उत्तीर्ण की है परंतु अभ्यर्थी अनिवार्य विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा । तथापि यदि वह संबंधित बोर्ड के नियमानुसार यदि कृपांक से भी उत्तीर्ण घोषित किया गया हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा ।

2. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5 या उससे उपर को 50 तथा 44.5 को 45 प्रतिशत मान्य किया जायेगा ।

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी संस्थानों के छत्तीसगढ़ कोटे की सीटों में केवल ऐसे अभ्यर्थियों का ***(कंडिका 2.5.4 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर)*** प्रवेश हेतु चयन के लिए पात्रता होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो ।

अन्य राज्य कोटा एवं मेनेजमेंट कोटा में प्रवेश के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय–समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र *(प्रारूप–3)* के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमाक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 5 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप 6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (ॲडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

2.6.3 **आयु सीमा**

बी. फार्मेसी एवं बी.ई. (बायोटेक्नालॉजी) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2011 को अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट रहेगी ।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है ।

2.7 **प्रवेश हेतु चयन पद्धति –**

2.7.1 **सामान्य प्रवेश परीक्षा – पी.पी.एच.टी.**

फार्मेसी के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं बायो टेक्नालॉजी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा भौतिकी, रसायन, गणित/बायोलॉजी विषय में प्रवेश परीक्षा प्री फार्मेसी टेस्ट 2011 आयोजित की जाएगी । बी.फार्मेसी एवं बायोटेक्नालॉजी में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को पी.पी.एच.टी. परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । जो अभ्यर्थी संस्थाओं की अन्य राज्य कोटा एवं मेनेजमेंट कोटा की सीटों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । पी.पी.एच.टी. में सामान्य वर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है । इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी । यह बंधन डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये नहीं रहेगा ।

टीप : यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 9.5 या उससे उपर को 10 प्रतिशत एवं 4.5 या उससे अधिक को 5 प्रतिशत मान्य किया जायेगा ।

2.7.2 **मेरिट क्रम का निर्धारण–**

भौतिकी, रसायन, गणित या भौतिकी, रसायन, बायोलाजी में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर कम्बाईंड मेरिट सूची, प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी इन योग्यता क्रम सूचियों से उम्मीदवारों के प्रवेश बी. फार्मेसी में परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा किये जायेंगे ।

मेरिट सूची में उम्मीदवारों का समान प्रतिशत होने पर अधिक प्राप्तांको के आधार पर निम्न क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जावेगा –

(1) रसायन (2) भौतिकी (3) जन्मतिथि, अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता । उम्र भी यदि समान हो तो 12वीं के कुल अंको के आधार पर होगा ।

बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं बायो टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम के लिये अलग–अलग मेरिट सूची तैयार की जायेगी ।

2.8 **आबंटन/प्रवेश प्रकिया–**

2.8.1 बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम/बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पी.पी.एच.टी.–2011 के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा केन्द्रीय ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा । काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी ।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । अतः पी.पी.एच.टी. 2011 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें । काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी फार्मेसी संस्थाओं प्राप्त की जा सकती है । साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in तथा www.mkcl.biz/cgppht2011 में भी देखी जा सकती है । **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी ।**

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 12वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होगे । तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।

2.8.2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** – सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/– (रु. पॉच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में **''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़''** के नाम से **संचालित खाता क्रमांक – 31077006832** में जमा करना है । फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :– डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 500/– का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप प्रवेश नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है। एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है । चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा www.mkcl.biz/cgppht2011 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। **चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने पी.पी.एच.टी.–2011 का रोल नंबर लिखें ।** इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है ।

2.8.3 **ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :**

सामान्यतया ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी । तथापि इसमें आंशिक फेरबदल हो सकते हैं । ऐसा होने पर इसकी जानकारी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgppht2011** में दी जायेगी

1. **(A) Online Registration :** ऑन लाईन पंजीकरण (Online Registration) जहॉ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में कराया जा सकता है । कम्प्यूटर सिस्टम में **Internet Explorer 6** अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है । ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये । 12वीं की अंकसूची (प्राप्तांकों को भरने के लिये), पी.पी.एच.टी. – 2011 की अंकसूची (रोल नंबर डालने के लिये), बैंक चालान की प्रति (चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये) एवं पी.पी.एच.टी.– 2011 की नियम पुस्तिका (संस्था की प्राथमिकता क्रम देने के लिये)। अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें । संस्थाओं की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी ।
   ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।
   सबसे पहले उम्मीदवार **www.mkcl.biz/cgppht2011** नामक वेबसाइट में जायें । यह वेबसाइट महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.के.सी.एल.), पुणे की सहायता से ऑन लाईन काउंसिलिंग के लिये तैयार की गई है । इसके होम पेज पर कई जानकारियॉ दी गई हैं । जैसे :– समस्त संस्थाओं की सूची, पिछले वर्ष का कटऑफ रैंकिंग, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप, विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

1 (अ) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़े । फिर **[Proceed]** बटन में क्लिक करें । दिये गये नियम एवं शर्तो (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़े, यदि ये शर्ते आपको मान्य है तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें । **[Reject]** करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिवश **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।

1 (ब) अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें । यदि आप अन्य राज्य के निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Other State Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें । इसके पश्चात् अपना सी.जी. पी.पी.एच.टी.– 2011 का रोल नंबर (**Roll No.**) तथा जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें । इसके बाद आपको Password डालने के लिये कहा जायेगा । आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहॉ

एंटर करें । पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है । पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** करें । अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले ले । अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें । यह बाद में भी काम आयेंगे । इसे किसी अनधिकृत को न बतायें । इसके पश्चात् **Proceed to fill application form >>>** में क्लिक करें ।

1 (स) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके द्वारा पी.पी.एच.टी का फार्म भरते समय दी गई जानकारी के अनुसार आपकी व्यक्तिगत जानकारियॉ (Personal Details) दी हुई होंगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य चाही गई जानकारियॉ भरनी होंगी जैसे :– माता का नाम, मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (द) आपके पी.पी.एच.टी. – 2011 के भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के प्राप्तांक एवं रैंक प्रदर्शित होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है ।

1 (ई) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में निर्धारित स्थान पर 12वीं का रोल नंबर एवं बोर्ड का नाम तथा दिये गये विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (ग) चालान संबंधी जानकारी – भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें ।

1. (B) विकल्प (Option) भरना –

1 **B** (अ) विकल्प भरने के लिये **Select Course** (पाठ्यक्रम) में जाये एवं बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी/ बायोटेक्नालॉजी में से किसी एक पाठ्यक्रम का नाम चुने एवं क्लिक करें । इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम वर्णमाला के क्रम (**Alphabatically Order**) में नीचे प्रदर्शित होंगें । जिस–जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं (अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें) । इसके पश्चात् **[Add Selected Options]** को क्लिक करें । चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित हो जायेंगे । अब दूसरे पाठ्यक्रम को क्लिक करें इसको संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची प्रदर्शित होगी । जहॉ–जहॉ प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । पुनः **[Add Selected Options]** बटन दबायें, चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित सूची में जुड़ जायेगी । यही प्रक्रिया तीसरे पाठ्यक्रम के लिये करें । <u>**आप चाहे तो अपनी इच्छानुसार एक ही पाठ्यक्रम या दो या तीनों पाठ्यक्रम का विकल्प भर सकते हैं । परंतु आबंटन केवल आपके मेरिट के आधार, एवं सीट उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही ब्रांच एवं एक ही संस्था के लिये होगा ।**</u> **इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद** तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

टीप :– 1. चूंकि काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ से आबंटन के बीच में कुछ नयी संस्थायें AICTE/CSVTU की अनुमति से प्रारंभ हो सकती है । अतः उन संभावित संस्थाओं को भी विकल्प में शामिल किया जा सकता है एवं आप इनका भी विकल्प दे सकते हैं । परंतु यदि इन संस्थाओं की अनुमति दस्तावेज परीक्षण अवधि की अंतिम तिथि तक नहीं मिल पाती है तो इन संस्थाओं में आबंटन नहीं किया जायेगा । ऐसे संस्थाओं की सूची होम पेज पर अलग से दी जायेगी ।

2. ट्यूशन फी वेव्हर (TFW) की सीटें समस्त संस्थाओं में उपलब्ध है । इस संबंध में नियमपुस्तिका के संबंधित बिन्दु का अवलोकन कर लें । डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में ट्यूशन फी वेव्हर योजना लागू नहीं है ।

3. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने

पर नही भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

विकल्प का प्राथमिकता क्रम (Priority/Preference) देना :–

1 **B** (ब) आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं की सूची में से जिस संस्था/जिस पाठ्यक्रम में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (Choice) देने हेतु उसके सामने **[Set Preference]** में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (Choice) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित होते जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये **[Reset My Preference]** में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें । जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

(टीप :– 1. आपको संस्था का आबंटन आपके पी.पी.एच.टी. – 2011 के मेरिट के आधार पर होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले । अतः कृपया ऑप्शन का क्रम ऐसा भरें जिससे आपको संस्था आबंटन होने की संभावना हो । पिछले वर्ष 2010–11 का विभिन्न संस्थाओं के कट ऑफ मेरिट की जानकारी वेबसाईट में दी गई है इससे आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि आपके रैंक पर आपको कौन सी संस्था मिलने की संभावना है । यद्यपि इस वर्ष स्थिति भिन्न हो सकती है । यह भी ध्यान रखें कि चूंकि आबंटन कार्य पूरी तरह से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन होता है । अतः यदि आपने विकल्पों का चयन तो किया है परंतु उनका क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों का आबंटन नहीं होगा जिनका चयन तो आपने किया है परंतु क्रम नहीं दिया हैं । केवल उन्हीं विकल्पों में से आबंटन होगा, जिनका क्रम आपने दिया है ।

1 **B** (स) इसके पश्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** प्रदर्शित होगा, इसमें आपका फोटो भी रहेगा । इसका प्रिंट ले लें, यदि फोटो न आया हो तो प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव अभी भी किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा । **Version No. Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है । निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (**Version**) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं ।

विकल्प बदलने की प्रक्रिया –

यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं तो आप पुनः **Registered Candidate Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब Shortlist Your Option अथवा Set Your Preference में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो Set Your Preference में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले Shortlist Your Option में जायें तत्पश्चात् Set Your Preference में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option**

Form जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारियॉ एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जायें । अंतिम **Version** क्रमांक वाला विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें । साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें ।

टीप :– आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा **MKCL** के सहायता केन्द्रों **(Help Centre)** में जाकर मदद पाई जा सकती है । **MKCL** के अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है (इस सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में रहेगी) :–

स. क्र.	**MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स.क्र.	**MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	ग्लोबल मल्टीमीडिया, हनुमान मंदिर के पास, डी.सी. रोड, अंबिकापुर	सरगुजा	07774–203096 98268–77024 97536–45205	16	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन, गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स, पैलेस रोड, सारंगढ़	रायगढ़	07768–233902 93009–60024 93291–52626
2	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी., सत्या हीरोहोन्डा शोरूम के पास, मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–412207 93003–20846	17	डाल्फिन कम्प्यूटर एजुकेशन, चक्रधर नगर चौक, सरला विला के पास, रायगढ़	रायगढ़	07762–222999 97531–65888 90398–22411
3	डी.टेक. कम्प्यूटर्स, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, राजकिशोर नगर, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–427708 92298–28788	18	आई.टी. इलेवन, फाफाडीह, मेन रोड, रायपुर	रायपुर	0771–4059696 94252–08313
4	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी. विप्र बी.एड. कॉलेज के पास जेवरा बाड़ा, बिलासपुर	बिलासपुर	96174–99156 98279–50105 92292–43357	19	आई.टी. टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तात्यापारा चौक, रायपुर	रायपुर	0771–2329910 93017–05599
5	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी., ओजस्वी नर्सिंग होम के सामने, गुलमोहर वाटिका, रूद्री रोड,, धमतरी	धमतरी	93028–32896 98264–32896	20	आई.टी. जीनियस प्रा.लि. पासपोर्ट ऑफिस के उपर, तीसरा तल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर	रायपुर	0771–4069861 96173–72319
6	हिमांशु इंफोटेक, प्रथम तल, 108 न्यू सिविक सेंटर, गीत टॉकीज के पीछे, भिलाई	दुर्ग	0788–2352445 99268–44199	21	शिवांता टेक्नालॉजी,, प्रथम तल, कृष्णा प्लाजा, बिन्दा सोनकर स्कूल के सामने,अश्वनी नगर, रायपुर	रायपुर	0771–4058990 98267–00068
7	कम्प्यूटर इंफो सॉल्यूशन, शॉप नं. –75,सेक्टर –10, ए मार्केट, भिलाई	दुर्ग	0788–4031312 99932–51100 90390–39995	22	आसैक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशनल, ऑपोसिट राजकुमार कॉलेज, चौबे कॉलोनी, रायपुर	रायपुर	0771–4061441 98271–44077
8	पेस आई.टी. सिंधी कॉलोनी, डॉ. सिद्दीकी क्लिनिक के उपर, स्टेशन रोड, गुरूद्वारा के पास, दुर्ग	दुर्ग	0788–4013474 98271–71227	23	अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कस्तूरबा महिला मंडल, पुराना रेस्ट हाउस, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744–409682 98261–90095
9	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई मंदिर के सामने, सिविल लाईन्स,कसारीडीह, दुर्ग	दुर्ग	0788–2326540 93023–53905 93021–87300	24	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन, दिग्विजय कॉलेज रोड, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744–409555 93295–51000
10	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर	बस्तर	07782–226632 94252–61196	25	सी–टेक कम्प्यूटर एजुकेशन, बालेराय स्टेडियम के सामने, मेनरोड, जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा	07819–244288 98261–96610
11	सेट कम्प्यूटर, भाटिया कॉलोनी, शासकीय हास्पिटल के सामने, पत्थलगॉव	जशपुर	07765–234000 94241–83777	26	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड, नारायणपुर	नारायणपुर	94255–18385

स. क्र.	MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स.क्र.	MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
12	शर्मा कम्प्यूटर्स, करबला चौक, जशपुर	जशपुर	07763–223600 07728–231396 94252–52975	27	नेशनल कम्प्यूटर्स, चर्च के पास, कांकेर	कांकेर	98278–87087 94252–61817
13	विद्या कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी दीप मीडिया, एकता चौक, कवर्धा	कवर्धा	07741–232772 98936–01234 94076–07454	28	ट्रैक कम्प्यूटर, साडा काम्प्लेक्स, ए–12, बस स्टेण्ड, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856–252324 94252–58546
14	राहे कम्प्यूटर, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा	कोरबा	07759–226144 81035–23771	29	नाईस–टेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखंड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास, मनेन्द्रगढ़	कोरिया	07771–241927 93015–87039
15	एजुकेशन प्लानेट, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा	कोरबा	07759–228705 98263–12327	30	इंडियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पिंजा धर्मशाला के पास, स्टेशन रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723–222121 98264–26982

टीप :– एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे । विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है । सहायता केन्द्रो का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/– प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/– प्रति पेज का प्रिंटिंग शुल्क देय होगा । कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरूद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है ।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) ।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार हैः–
(सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774–220609	10	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762–222737
2	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260289	11	शासकीय पॉलीटेकनिक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741–232636
3	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260258	12	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा, रूमगरा, बाल्को नगर, कोरबा	कोरबा	07759–215696
4	शासकीय पॉलीटेकनिक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753–264963	13	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723–224818
5	शास. इंजी. महा. जगदलपुर ,धरमपुरा नं– –2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229436	14	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2421376
6	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, जगदलपुर, धरमपुरा नं.–2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229230	15	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2423045
7	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722–237618	16	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगॉव, तहसील कार्यालय, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744–226830
8	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788–2323548	17	शासकीय पॉलीटेकनिक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820–234010
9	शासकीय पॉलीटेकनिक, जांजगीर, खोखरा भाटा, जांजगीर–चांपा	जांजगीर	07817–222026				

दस्तावेज परीक्षण हेतु समय सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी ।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लियें हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति ।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।
3. 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित/बॉयोलॉजी, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । **<u>पूरक अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा परंतु कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी का आवेदन कन्फर्म किया जायेगा ।</u>**
4. पी.पी.एच.टी. – 2011 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।
5. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य कोटा के लिये अन्य राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र ।
6. रु. 500/– काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति ।
7. जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –

8. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने संबंधी **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
10. यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स)
11. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप – 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
12. यदि अभ्यर्थी विकलांग (PH) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी । उसी प्रकार यदि आपके पास विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

उपरोक्त प्रमाण पत्रों को लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा । यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि मे पी.पी.एच.टी. फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा । सबमिट करने पर **Acknowledgement cum Option Form** प्रदर्शित होगा । इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । **Acknowledgement cum Option Form** की 02 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं दोनों प्रतियों में छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी । **DVC** द्वारा आपको **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें । काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह **Acknowledgement cum Option Form** फार्म ही है एवं उसमें **DVC** की सील लगी है ।

निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी । अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें ।

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

टीप :– यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।

3. सीट आबंटन

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके पी.पी.एच.टी. के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । आबंटन सूची इसी वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgppht2011** पर देखा जा सकता है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो **SMS** के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । **SMS** प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) आप **Print Allotment Letter** में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें । इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें ।

4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी । अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेंगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें । बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं यह सीट रिक्त मानी जायेगी ।

5. प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट में अपलोड करना –

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो इन रिक्त सीटों को भरने के लिये ऑनलाईन काउंसिलिंग की द्वितीय चरण करायी जायेगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी अथवा संस्था स्तर पर प्रवेश हेतु अनुमति दी जायेगी ।

6. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

7. कृपया वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें ।

2.8.4 **गंभीर बीमारीः–**यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *दस्तावेज परीक्षण हेतु* सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग अधिकृत होगा ।

2.8.5 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, पी.पी.एच.टी. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/पाठ्यक्रम का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

2.8.6 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (Op) में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा ।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे ।

2.8.7 <u>एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में</u> आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी । यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है ।

<u>2.8.8 छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम –</u>

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 1000/– की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।
2. काउंसिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी । कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी ।

   कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

   Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

   फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं । प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा । यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा ।
3. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी फीस विनियामक समिति/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

2.8.9 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :

ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रथम/द्वितीय चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी के राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराया जाने की आवश्यकता हो तो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी । संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी ।

संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी । किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्र भी शामिल हो सकते हैं ।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त करना**–यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी

सूचना के रद्द किया जा सकेगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

2.12 **शिक्षण शुल्क** – ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' द्वारा कुछ संस्थाओं की सत्र 2011–12 की फीस की निर्धारण की जा चुकी है एवं कुछ संस्थाओं की प्रक्रिया जारी है समिति द्वारा अंतिम फीस निर्धारण के पश्चात् शासन द्वारा अंतिम फीस की आदेश जारी की जायेगी तद्नुसार फीस देय होगा । जैसे ही इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया जायेगा इसकी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जायेगी । जब तक सत्र 2011–12 की अंतिम फीस निर्धारित नहीं कर दी जाती तब तक शासन के आदेश क्रमांक एफ 9–41/2010/42, दिनांक 19.11.2010 के अनुसार ही फीस ली जानी है । इस आदेश के बिन्दु क्रमांक – 7 में हॉस्टल, ट्रास्पोर्ट, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट तथा ड्रेस शुल्क हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । अतः उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है । तथापि इन मदों में फीस वास्तविक व्यय के आधार पर ''न लाभ न हानि'' के आधार पर लिया जाना है ।

बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु विभिन्न संस्थाओं की फीस निम्नानुसार निर्धारित है :

निम्न संस्थाओं हेतु सत्र 2011–12 के लिये निम्नानुसार अंतरिम फीस (Interim Fees) निर्धारित है –

S.N.	Name of Institution (For B.Pharmacy Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	25000
2	Raipur Institute of Technology, Raipur	25000
3	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	26250
4	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	25000
5	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	26250
6	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	23500
7	Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Science, Nehru Nagar, Junwani, Bhilai	25000

निम्न संस्थाओं हेतु सत्र 2011–12 के लिये निम्नानुसार अंतिम फीस (Final Fees) निर्धारित है –		
1	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	23500
2	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	23500
3	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Near Dindayal Awas Yojna, Uslapur, Bilaspur	25000
4	Swami Swaroopanand Saraswati Institute of Pharmaceutical Science, Mujgahan, Sejbahar, Raipur	22500

डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु विभिन्न संस्थाओं की अंतरिम फीस (Interim Fees) निम्नानुसार निर्धारित है :

S.N.	Name of Institution (For D.Pharmacy Course)	Total Fee (Per Year) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	40400
2	J.K. Institute of Pharmacy, Bilapur	40400
3	Maulana Abul Kalam Azad college of Pharmacy, Raipur	40400
4	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	40400
5	Royal College of Pharmacy, Raipur	40400
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	40400
7	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	40400
8	Siddhi Vinayak Institute of Pharmacy, Bilaspur	40400

टीप : संस्था में शिक्षण शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है । शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें ।

2.13 ट्यूशन फी वेव्हर योजना– Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

2.13.1 यह योजना ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

2.13.2 यह योजना राज्य में स्थित एआईसीटीई से अनुमोदित समस्त बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में लागू होगी । तथापि डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये यह योजना लागू नहीं है ।

2.13.3 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्थाओं में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित पाठ्यक्रम की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के उपरांत अतिरिक्त सीटों में (अधिकतम दस प्रतिशत सीटों पर) प्रवेश हुआ हो । अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सी.जी. पी.पी.एच.टी. मेरिट के आधार पर देय होगी । उदाहरणार्थ– यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है और कुल प्रवेश 66 छात्रों का होता है तो 6 अभ्यर्थियों को ही TFW जायेगा । किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है और

उसमें 63 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 3 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे । प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगी । तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी ।

हर 60 प्रवेश क्षमता के पीछे 01 शारीरिक रूप से विकलांग छात्र को एवं 03 छात्राओं को तथा 02 अन्य को मेरिट के आधार पर देय होगी । इस हेतु छात्र के पालक/अभिभावक की वित्तीय वर्ष 2010–11 की समस्त श्रोतों से आय रू. 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये । आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है । आय प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप – 9 नियम पुस्तिका में दिया गया है । आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा ।

टीपः महिला कोटा एवं निःशक्तजन कोटा के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन कोटा की सीटों को अन्य कोटे में मेरिट के आधार पर दिया जायेगा ।

2.13.4 फी वेव्हर के प्रस्ताव संस्थाओं द्वारा संचालनालय को भेजे जायेंगे संचालनालय में परीक्षण के उपरांत अनुमोदन दिया जायेगा ।

2.13.5 जिन अभ्यर्थियों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी ।

2.13.6 ट्यूशन फी वेव्हर प्राप्त छात्र को पाठ्यक्रम एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी । संस्था/पाठ्यक्रम परिवर्तन पर या पी.पी.एच.टी. सीट छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी । यदि बाद में प्रवेशित छात्र का मेरिट फी वेव्हर की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पूर्व प्रवेशित छात्र से उपर है तो ऐसे उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को फी वेव्हर की पात्रता होगी ।

2.13.7 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

2.13.8 फी वेव्हर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी ।

2.13.9 फी वेव्हर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी ।

2.13.10 विवाद की स्थिति में संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

2.14 रैंगिंग

2.14.1 परिभाषाः– रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.14.2 रैंगिंग का प्रतिशेध :– किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.14.3 दण्ड :–यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों ता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा.

2.14.4 अपराधों का विचारण :—

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.14.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :—

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

अवर सचिव
छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

छात्र हित में अन्य जानकारियॉ –

1. संस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारियॉ–

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं, फीस आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावको की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में फार्मेसी संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है । वेबसाईट www.mkcl.biz/cgppht2011 में भी एक लिंक इंस्टीट्यूट प्रोफाइल के नाम से दिया गया है । जहॉ जाकर संस्था से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है ।

2. आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC के लिये मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप एवं शिक्षण शुल्क की वापसी

शासन की नीति के अनुसार SC/ST/OBC के छात्र जो संस्थाओं में प्रवेशित है, उन्हें पालक के आय के अनुसार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है । साथ ही साथ आय के अनुसार ही शिक्षण शुल्क वापस पाने की भी पात्रता है । निजी संस्थाओं के लिये फीस की वापसी शासकीय संस्थाओं में निर्धारित फीस से समतुल्य होती है । इसकी विस्तृत जानकारी संस्था से अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आदिम जाति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है ।

3. **ट्यूशन फी वेव्हर** (TFW) **योजना** – इसकी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 2.13 में दी जा चुकी है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2011** है । ट्यूशन फी वेव्हर योजना केवल बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु लागू है । डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये यह योजना लागू नहीं है ।

तालिका–1

विभिन्न फार्मेसी संस्थानों में बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी / बायोटेक्नालॉजी (बी.ई.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

सत्र 2011–2012

क्र.	संस्था का नाम	C.G. Quota	O.S. Quota	Mngt. Quota	कुल
बी.फार्मेसी					
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर	60	0	0	60
2.	अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अंजोरा ,दुर्ग	45	6	9	60
3.	कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रायपुर	90	12	18	120
4.	जे.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, करबला रोड, बिलासपुर	45	6	9	60
5.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	45	6	9	60
6.	रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी ,रायपुर	90	12	18	120
7.	रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डुमर तालाब, रायपुर	45	6	9	60
8.	रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	90	12	18	120
9.	स्कूल ऑफ फार्मेसी,चौकसे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिलासपुर	45	6	9	60
10.	श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस, भिलाई	45	6	9	60
11.	सिद्धी विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्ना.एंड साइंस, बिलासपुर	45	6	9	60
	कुल	645	78	117	840
डी.फार्मेसी					
1.	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, बायरन बाजार, रायपुर	30	0	0	30
2.	कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टेकारी, रायपुर	45	6	9	60
3.	जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बिलासपुर	45	6	9	60
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रायपुर	45	6	9	60
5.	रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी , रायपुर	45	6	9	60
6.	रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डुमर तालाब, रायपुर	45	6	9	60
7.	रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	45	6	9	60
8.	स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, लाल खदान, बिलासपुर	45	6	9	60
9.	सिद्धी विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्ना.एंड साइंस, बिलासपुर	45	6	9	60
	कुल	390	48	72	510
बायोटेक्नालॉजी					
1.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	8	1	1	10

तालिका–2

विश्वविद्यालयीन फार्मेसी संस्थान (I.P.Pt. R.S.U. इंस्टीयूट ऑफ फार्मेसी, पंडित रविशंकर शुक्ल विवि, रायपुर) के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों का विवरण

सत्र 2011–2012

क्र.	संस्था का नाम	कुल सीट	छत्तीसगढ़ कोटा											
			UR			SC			ST			OBC		
			F	Op	PH	F	Op	PH	F	Op	PH	F	Op	PH
1.	I.P.Pt. R.S.U. Raipur	60	9	20	1	3	6	0	4	9	0	2	6	0

तालिका–3

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, रायपुर में संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु आरक्षित सीटों का विवरण

UR					SC					ST					OBC					TOTAL				
S	FF	PH	F	TO	S	FF	PH	F	TO	S	FF	PH	F	TO	S	FF	PH	F	T0	S	FF	PH	F	GT
1	0	0	14	15	0	0	0	5	5	0	0	0	6	6	0	0	0	4	4	1	0	0	29	30

संक्षेपाक्षरों के विस्तारित नाम

UR - Un reserved
SC - Scheduled Caste
ST - Scheduled tribe
OBC - Other Backward Category (Excluding Creamy layer)
F - Female, Reserved for female Candidates only
Op - Open for both Male & Female
H - Handicap (Person With Disability)

टिप्पणी :–

1. उपरोक्त सीटें वर्ष 2010–11 के आधार पर हैं । वर्ष 2011–12 में इन सीटों की संख्या एवं प्रकार में परिवर्तन संभावित है एवं नई बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी संस्थायें संभावित ।
2. संस्थाओं में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति के उपरांत ही दिया जा सकेगा ।
3. सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा उसमें आरक्षण भी तत्समय लागू नियमों के अनुसार होगें ।

प्रमाणपत्रों के प्रारूप

प्रारूप – 1

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला .... संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.............. .... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

   यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप 2
छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा– वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .... संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.)दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची में कालम –3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप 3

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक ....   दिनांक.......................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी..

तहसील .... व जिला.................... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं । **परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त** निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः–

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutoryद्ध पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ....
पदनाम एवं सील

प्रारूप –4

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के
स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो बी. फार्मेसी प्रथम वर्ष में प्रवेश का / की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में.............................पद पर........................... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर..तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.............................

दिनांक..........................

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप–5

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................. दिनॉक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो बी.फार्मेसी प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री / सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता / माता का नाम) का / की / संतान है, जो......................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय... ....स्थान...जिला..में... ....पद पर पदस्थ हैं जो भारत सरकार के...विभाग...

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय का / की कार्मिक है ।

स्थान..

दिनॉक..

....
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप 6

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक..................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित PPHT -2011..वर्ष........के आधार पर बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो..............................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप 7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.4)

संदर्भ क्रमॉक.....................   दिनॉक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो बी. फार्मेसी प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान..

दिनॉक..

....
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.4.2)

संदर्भ क्रमॉक..................................   दिनॉक.....................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो बी.फार्मेसी प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्व प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.. ....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक.......................................से दिनॉक........................तक ....(स्थान का नाम) जिला..में रही है ।

स्थान..

दिनॉक..

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
शासन में विभागाध्यक्ष
अधिकारी के हस्ताक्षर,
पद एवं विभाग का नाम

प्रारूप – 9

(नियम 2.13.2)

न्यायालय तहसीलदार .... जिला .... (छत्तीसगढ़)

// आय प्रमाण–पत्र //

पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि –

1. श्री / श्रीमति / कु. .... पुत्र / पुत्री / पत्नी ....
....का स्थायी निवासी ....
....तहसील ....
जिला .... (छ.ग.) का है ।

2. श्री / श्रीमति / कु. ....
जाति .... का है और उसकी उपजाति ....
उसका धर्म .... है ।

3. छात्र / छात्रा के पिता / माता / अभिभावक श्री ....
आत्मज श्री .... का **31 मार्च 2011** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में छात्र / छात्रा की अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय .... शब्दों में ....
रूपये है ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. पिता / माता / पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।
2. यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी की सलाह दी जाती है कि यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण–पत्र जारी करें ।

बी. फार्मेसी संस्थाओं के नाम, पते एवं फोन नंबर

Name of Institutes	Phone No.	Fax No.	Website	E-mail
इंस्टीयूट ऑफ फार्मेसी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	0771-2262832	0771-2262832	www.iopraipur.ac.in	
अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वेटेनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग	0788-2623444	0788-2623444		
कोलंबिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम–टेकारी, विधानसभा के पास, रायपुर	0771-6456853	0771-2266302	www.columbiapharmacy	columbiaiop@sify.com
जे.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, करबला रोड, बिलासपुर				
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	0771-3290850	0771-4036053	www.rit.edu.in	info@rit.edu.in
रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी, जिला–दुर्ग	07821-247271 247274	07821-247022		
रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी साइंस, रायपुर	98271-53443 93021-30492	0771-4074002		rcr.rcps@gmail.com
रूंगटा कॉलेज आफॅ फार्मास्यूटिकल साइंस, रूंगटा एजुकेशनल केम्पस, कोहका रोड, दुर्ग	9229155558 0788-2286476, 7,8,9	0788-2286480	www.rungta.ac.in	repsr@rungta.ac.in
स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	07752-400736	07752-302101	www.cecbilaspur.com	cecbsp@rediffmail.com
श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस, भिलाई	0788-2291621	0788-2291622	www.sges.org.in	ssitm@sges.org.in
सिद्धी विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस, दीनदयाल आवास योजना के पास, उसलापुर, बिलासपुर	07752-217578	07752-217578		vinayadwivedi@gmail.com

CHALLAN FOR PPHT COUNSELLING	CHALLAN FOR PPHT COUNSELLING	CHALLAN FOR PPHT COUNSELLING
CANDIDATE COPY	DTE COPY	BANK COPY
Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur	**Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur**	**Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur**
SBI Power Jyoti A/c No **31077006832** Date ……………………………………………	SBI Power Jyoti A/c No **31077006832** Date ………………………………………	SBI Power Jyoti A/c No **31077006832** Date ………………………………………
Registration ID/Ref. No. ……………......... (PPHT-2011 Roll No)	Registration ID/Ref. No. ……………......... (PPHT-2011 Roll No)	Registration ID/Ref. No. ……………................ (PPHT-2011 Roll No)
Name of Applicant ……………………….…… ………………………………………………	Name of Applicant …………………… …………………………………………….	Name of Applicant …………………….……… …………………………….………………
Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)
Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately	Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately	Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately
Signature of Depositor ……………………..……	Signature of Depositor …………………….	Signature of Depositor …………………….
SBI Branch Name …………………………….	SBI Branch Name …………………………	SBI Branch Name …………………………
Amount deposited …………………………….	Amount deposited …………………………	Amount deposited …………………………
Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature

Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना PPHT-2011 का Roll No. अंकित करें ।

Instruction for Bank : Kindly enter PPHT-2011 Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by the candidate.